

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना. स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री भरत लाल मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि-लूज जिला करौली का स्थानान्तरण राउमावि-बहादुरपुर, मण्डरायल, जिला करौली किया गया था जिसके विरुद्ध श्री भरत लाल मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 2160/2018 भरत लाल मीणा बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 2160/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 द्वारा अपीलार्थी श्री भरत लाल मीणा के सम्बन्ध में जारी विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 को माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी श्री भरत लाल मीणा की सीमा तक एतद्वारा अपास्त किया गया है।

अतः श्री भरत लाल मीणा माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में राउमावि-लूज जिला करौली में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/भरत लाल/अपील/2160/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा करौली को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी।

दिनांक: 19/08/2018


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 28.05.2018 द्वारा श्रीमती जगनी मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, रातंगा जिला नागौर का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय अरणाय, सांचौर जिला जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती जगनी मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 970/2018 जगनी मीणा बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर दायर की गई।

प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.05.2018 को अनियमित एवं विधि विरुद्ध बताते हुए अपीलार्थी श्रीमती जगनी मीणा की सीमा तक एतद् द्वारा अपास्त किया गया है।

अतः श्रीमती जगनी मीणा, प्रधानाचार्य माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रातंगा जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगी।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/जगनी मीणा/970/2018

दिनांक: 19.09.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर/पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा नागौर को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)